

दिनांक -

30-06-2018

आज दिनांक 20.06.2018 को

अज्ञान सीख

मुख्य इस्ती इफ्ताना यह विवरी ने
 सीताराम मेमोरियल इन्टर कालेज जयपुर
 गाजीपुर के स्टूडेंटों की मिटिंग बुलाई
 मुख्य इस्ती अपनी उपस्थिति को लेकर
 इन्टर के कामों को न कर पाने में
 असमर्थता जवाबी न देखना होने
 में काफ़ी सीताराम मेमोरियल इन्टर
 कालेज जयपुर गाजीपुर का मिनिस्टर
 रामलाल बित्तरी पुत्र इफ्ताना यह विवरी
 शाक कालेज जयपुर सिना गाजीपुर
 को निम्नलिखित कामों का अज्ञान सफल
 आश्चर्यों के समाप्त रखा जिससे सफल
 आश्चर्यों द्वारा स्वीकार किया गया
 तबसेनात मुख्य आसी ने अज्ञान
 विवरी उक्त को आश्चर्य का मिनिस्टर
 निम्नलिखित कामों को सम्पन्न
 सभी कामों को करने का आश्चर्य
 उक्त अज्ञान विवरी को अज्ञान
 किया। अज्ञान यह मुख्य आसी ने
 अज्ञान आश्चर्यों के इच्छाकार किया
 न मिटिंग की कार्यवाही समाप्त
 किया गया। अज्ञान में मुख्य इस्ती
 न इच्छा इस्ती विवेक मित्रा न
 राधकान्त कुमार भी हैं उपस्थित हैं।

No. 111

अज्ञान

सीताराम मेमोरियल इन्टर
कालेज जयपुर गाजीपुर

13

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504312

न्यास विलेख-पत्र

न्यास का नाम-सीताराम मेमोरियल ट्रस्ट बघरी, जमानियों, गाजीपुर

प्रस्तुत न्यास विलेख पत्र दिनांक-03-03-2016 ईस्वी को मैं कृष्णानन्द तिवारी पुत्र स्व० बशिष्ठ तिवारी, निवासी बघरी, पत्रालय, मरगना या वहसील-जमानियों, जमानपद-गाजीपुर, उत्तर-प्रदेश द्वारा निर्मित किया गया है।

विदित हो कि मैं कृष्णानन्द तिवारी अनहित के उद्देश्य से अपनी इच्छा से तथा सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ एक न्यास का गठन करना चाहता हूँ जिसका तथ्य निम्नलिखित है-

इस विलेख के गवाहानं

1- मैं कृष्णानन्द तिवारी एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा एवं स्वविवेक से रु० 11000/- (ग्यारह हजार) देकर उन लोगों को जो नीचे पूर्ण रूप से सम्बन्धित नहीं हैं और जिनको न्यासी या न्यासीगण की हैसियत से नियुक्त किया गया है और न्यासीगण द्वारा उसी प्रकार न्यास के उद्देश्य हेतु उक्त धनराशी मुबलिय रु० 11000/- (ग्यारह हजार) प्राप्त किया है जिनको उल्लिखित किया गया है।

2- मैं कृष्णानन्द तिवारी प्रधान न्यासी एतद्वारा निम्नलिखित को न्यासी नियुक्त करता हूँ-
न्यासी-वित्तनन्द मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र मिश्रा
न्यासी-राघवेंद्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम धरम सिंह
न्यासीयों की अधिकतम संख्या 6 तथा न्यूनतम संख्या 3 होगी।

K. N. Tiwari



600

220

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504322

- 3- उपरोक्त रु 11000/- धनराशि के साथ सभी धनराशि और/या सम्पत्तियां जो समय-समय पर अंशदान, अनुदान, बख्शीश, हस्तान्तरण या दान इत्यादि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मेरे सहित, संस्थानों, निगम, संगठन स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा दिया जायेगा और सभी धनराशि या क्षतिपूर्ति का दावा और सेवा तथा सभी सम्पत्तियों जो चाहे चल हो या अचल सब पर न्यास का अधिपत्य होगा। किसी भी परिस्थिति में न्यास का अधिपत्य होगा किसी भी परिस्थिति में न्यास के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या न्यासी के व्यक्तिगत खाते अथवा निजी उपयोग के लिए नहीं होगी। उक्त सम्पत्ति के रखरखाव के लिए एक न्यास फण्ड होगा और वह न्यासियों में समाहित होगा।
- 4- न्यास का नाम श्रीवाचम मेमोरियल ट्रस्ट, बघरी, जमानियाँ, गाजीपुर होगा।
- 5- न्यास का मुख्यालय श्री कृष्णानन्द तिवारी का निवास ग्राम-बघरी, पोस्ट-जमानियाँ, जिला-गाजीपुर (उप्र) होगा।
- 6- इस न्यास का उद्देश्य निम्नलिखित होगा तथा एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति लाभ हेतु क्रियाशील नहीं होगा।
 - 1- मानव मात्र के शांत, आनंदमय, निष्कंटक, चिन्तारहित, स्वास्थ्य इहलोक तथा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा अंततः मुक्ति हेतु सबकी सेवा इस न्यास का परम उद्देश्य होगा।
 - 2- वैदिक, धर्म हिन्दू धर्म, भारतीय संस्कृति, भाषा, दर्शन, साहित्य, कला एवं संगीत तथा अन्य प्राच्य विद्याओं एवं आयुर्विज्ञान इत्यादि के संवर्धन और विकास में सार्वक मूमिका हेतु समय समय पर गोष्ठियां, व्याख्यानमाला, शोध एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा उसके विकास के लिए प्रकाशन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
 - 3- मनुष्य की सर्वोत्तम भावनाओं के प्रतीक हिन्दू देवी/देवताओं के अर्चना स्थलों का निर्माण एवं रख-रखाव, पुस्तक अर्चना स्थलों का जीर्णोद्धार, व्यायामशालाएँ चलाना, शारीरिक रूप से विकलांग तथा बच्चों एवं वृद्धों के लिए विशेष योजनाएँ बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना।

K. N. Tivari

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504313

- 4- योग दर्शन एवं व्यावहारिक योग का प्रचार-प्रसार एवं शोध करना। धर्म एवं दर्शन तथा जीवन के सभी पहलुओं पर यथार्थवादी, अध्यात्मिक एवं अनुभूति परक दृष्टिकोण एवं नैतिक जीवन दृष्टि का समावेश करना तथा एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जिसमें प्रेम, भाईचारा, सत्य, दया, त्याग, करुणा, अहिंसा और भागवत गीता में वर्णित स्वधर्म से जीवन जन-जन को प्राप्त हो।
- 5- शिक्षा का प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगों को वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी से अवगत करना। इसके लिए छात्रवृत्ति, पेंशन, आर्थिक सहायता, वेतन, विद्यालयों को अनुदान, स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्ययन कक्ष, छात्रावास एवं शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन और इच्छुक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- 6- बालक/बालिकाओं के चतुर्विध विकास के लिए मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्नीक, आईटीआई, एनटीआई, बाम्बे आर्ट, फिजिकल एजुकेशन तथा B.P.Ed., M.P. Ed, Bed एवं BTC व अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।
- 7- ग्रामीण/नगरीय अंचलों में नागरिकों, बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनके संचालन के लिए समुचित प्रबंध करना तथा सामाजिक सुधार हेतु सहायता करना।
- 8- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनको स्वरोजगार करने हेतु प्रेरणा देना, इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकी, कला, टाइपिंग, टेलरिंग, म्यूटीशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनाएं चलाना, कुटीर एवं लघु उद्योग लगाने हेतु निःशुल्क औद्योगिक परामर्श की व्यवस्था करना।
- 9- अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति के जरिये इनमार्मेशन टेक्नालाजी कम्प्यूटर इन्टरनेट की स्थापना करना।

K. N. Tiwari



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504314

- 10- परिवार नियोजन, गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं टीकाकरण से सम्बन्धित जानकारी लोगों तक पहुंचाना तथा जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित करना।
- 11- एड्स, कुष्ठ रोग, यौन, पोलियो, टीबी, एवं संक्रामक रोगों की जानकारी कराना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारीयों से अवगत कराना।
- 12- कैंसर जैसे रोगों से बचाव के लिए जनजागरण करना एवं पीड़ित व्यक्तियों एवं परिवारों को आर्थिक एवं चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करना एवं सेवा करना तथा हर सम्भव सुविधा उपलब्ध करना।
- 13- पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करना, उनको अस्पताल में रहने पर दवा वितरित करना, उनकी देखभाल सेवा व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दवाखाना, नर्सिंग होम, औषधालय तंगरह की स्थापना एवं संचालन तथा पहले से ही संबन्धित संचालित औषधालयों में द्रव्य की व्यवस्था करना। गरीब बيمार एवं कमजोर की मदद करना या जरूरतमंद व्यक्तियों के चिकित्सा इलाज एवं अन्य प्रकार की सहायता देना और उनके खर्चों की व्यवस्था करना।
- 14- मातृ शिशुगृह के उत्थान, रख-रखाव हेतु सहायता प्रदान करना, बाल कल्याण केन्द्र, पीने का स्वच्छ जल, विधवा विवाह को बढ़ाना, गुंगे, बहरे एवं बरिद लोगों के लिए भवन की व्यवस्था करना तथा अन्य स्त्रियों को विपत्ति में सहायता करना।
- 15- प्राकृतिक आपदा जैसे- बाढ़, अकाल, भूकम्प, आगजनी, महामारी इत्यादि के समय सहायता कार्य करना। जनमानस के लाभ हेतु नलकूप, दीवाल, टंकी, पोखरी व जनमार्ग, सेतु के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु अनुदान द्वारा अथवा अन्य हर सम्भव तरीके से सहयोग करना।
- 16- धर्मशाला, अखाड़ा, गोशाला, आरामगृह, व्यायामशाला की स्थापना करना या पहले से ही स्थापित होने पर इसका विकास करने में सहायता प्रदान करना।

K. N. Tiwari



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504314

- 10- परिवार नियोजन, गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं टीकाकरण से सम्बन्धित जानकारी लोगों तक पहुंचाना तथा जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित करना।
- 11- एड्स, कुष्ठ रोग, यौन, पोलियो, टीबी, एवं संक्रामक रोगों की जानकारी कराना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारियों से अवगत कराना।
- 12- कैंसर जैसे रोगों से बचाव के लिए जनजागरण करना एवं पीड़ित व्यक्तियों एवं परिवारों को आर्थिक एवं चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करना एवं सेवा करना तथा हर सम्भव सुविधा उपलब्ध करना।
- 13- पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करना, उनको अस्पताल में रहने पर दवा वितरित करना, उनकी देखभाल सेवा व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दवाखाना, नर्सिंग होम, औषधालय तंगरह की स्थापना एवं संचालन तथा पहले से ही संबंधित संचालित औषधालयों में द्रव्य की व्यवस्था करना। गरीब ब्रिगार एवं कमजोर की मदद करना या जरूरतमंद व्यक्तियों के चिकित्सा इलाज एवं अन्य प्रकार की सहायता देना और उनके खर्चों की व्यवस्था करना।
- 14- मातृ शिशुगृह के उत्थान, रख-रखाव हेतु सहायता प्रदान करना, बाल कल्याण केन्द्र, पीने का स्वच्छ जल, विधवा विवाह को बढ़ाना, गुंगे, बहरे एवं दरिद्र लोगों के लिए भवन की व्यवस्था करना तथा अन्य स्त्रियों को विपत्ति में सहायता करना।
- 15- प्राकृतिक आपदा जैसे- बाढ़, अकाल, भूकम्प, आगजनी, महामारी इत्यादि के समय सहायता कार्य करना। जनमानस के लाभ हेतु नलकूप, दीवाल, टंकी, पोखरी व जनमार्ग, सेतु के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु अनुदान द्वारा अथवा अन्य हर सम्भव तरीके से सहयोग करना।
- 16- धर्मशाला, अखाड़ा, गोशाला, आरामगृह, व्यायामशाला की स्थापना करना या पहले से ही स्थापित होने पर इसका विकास करने में सहायता प्रदान करना।

K. N. Tiwari



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86 504315

- 17- वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जनजागरण, रैलीयों, गोष्ठी का आयोजन करना, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागृति लाना एवं प्रदूषणों से होने वाले हानियों से लोगों को अवगत कराना प्रतिवर्ष योजनाएं बनाकर वृक्षारोपण करना तथा जानवरों, पशुओं एवं पक्षियों तथा अन्य जीव जन्तुओं की सुरक्षा के लिए समुचित कार्य करना।
- 18- नशाखोरी एवं मद्यपान को रोकने के लिए गोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन करके उसके दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा उनका आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ाना।
- 19- समाज में उपेक्षित लड़कों व लड़कियों एवं बालश्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उनके पुनर्स्थापना हेतु संस्थायें चलाना।
- 20- निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनके नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों सम्बन्धित प्रशिक्षण देना एवं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के सम्बन्धित प्रशिक्षण योजनाएँ चलाना।
- 21- समाज में नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए विधिक जानकारी से अवगत कराना तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास अपने संसाधनों तथा परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर प्रयत्न करता रहेगा।
- 22- उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए न्यासीगण प्रस्ताव के द्वारा न्यास के बैंक खाते से धन निकालकर निवेश करने के अधिकारी होने या समय-समय पर विद्यारोपरान्त धनराशि का प्रयोग न्यास व कल्याणार्थ या उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निवेश कर सकेंगे। इसमें प्रधान न्यासी का आदेश अन्तिम होगा।
- 23- उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रधान न्यासी, अन्य न्यासियों सहित समाज के गणमान्य व्यक्तियों को मिलाकर उसका गठन किया जायेगा।

K. N. Tiwari



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504316

- 24- ट्रस्ट का 80g एवं एकदली0आर0ए0 में पंजीयन कराया जायेगा।
- 25- प्रबन्ध समिति में शामिल व्यक्तियों की संख्या प्रधान न्यासी के स्वदिवेक से होगा। प्रबन्ध समिति के सदस्य आपस में विचार विमर्श करके आवश्यक सलाह देंगे और कार्य को सम्पादित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- 26- न्यास का प्रधान न्यासी ही आजीवन उसका अध्यक्ष होगा एवं प्रधान न्यासी की सहमति से न्यासियों में से ही किसी को भी सचिव नियुक्त करेगा। उक्त दोनों पदों पर केवल न्यासी ही हो सकते हैं। अध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि होगा।
- 27- अध्यक्ष प्रबन्ध समिति के सदस्यों को स्पष्ट आवश्यक दायित्व सचिव के माध्यम से दे सकेंगे, परन्तु न्यास के क्रियाकलाप के बारे में सदस्यों के विचार या सलाह किसी भी तरह न्यास या न्यासी पर बाध्यकारी नहीं होंगे।
- 28- वास्तविक खाते सभी रसीद द्वारा प्रदर्शित होंगे और सभी का भुगतान एतद्वारा निर्मित न्यास के खाते से किया जायेगा और सभी आय व्यय का लेखा-जोखा प्रबन्ध समिति द्वारा रखा जायेगा। न्यास के खाते का संचालन प्रधान न्यासी/अध्यक्ष/सहायक न्यासी/सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। न्यास की सांख्य एवं विवरण को प्रमाणी बनाने के लिए न्यासीगण/सचिव द्वारा सम्पूर्ण खाते का परीक्षण चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा।
- 29- न्यास का वार्षिक आय व्यय पेरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
- 30- न्यास खाते की पूंजी से प्राप्त की गई कोई धनराशि सम्पत्ति, अंशप्रतिभूति अथवा किसी भी प्रकार के ऋणपत्र के अंश न्यास खाते में जोड़े जायेंगे और न्यास खाते की आमदनी के रूप में समझे जायेंगे।
- 31- न्यास समय-समय पर सन्दर्भित खर्चों के सम्बन्ध में उपर वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु निर्णय करेगा और उससे प्राप्त आय न्यास की सम्पत्ति होगी।

K. N. Tiwari



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504317

- 32- न्यास खाते की धनराशि रिपोर्ट, पट्टा क्रय करने और या अचल सम्पत्ति को बंधक लेने या इसी प्रकार के अन्य कार्यों में जैसा न्यासीगण समय समय पर निर्धारित करें निवेश किया जायेगा और या जमा धनराशि से किसी व्यक्ति या फर्म, निगमित समिति, संगठन, संघ को ऋण प्रदान किया जायेगा और उसी परिप्रेक्ष्य में भुगतान किया जायेगा जिस प्रकार न्यसीगण समय-समय पर निर्धारित करेंगे।
- 33- न्यासीगण जैसे उचित समझे उन्हें न्यास की इस दिखेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने, रूपान्तरण करने एवं न्यास को स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा। ऐसा करते समय हर परिवर्तन, रूपान्तरण एवं स्थानान्तरण का प्रज्वीकरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समय-समय पर प्रतिभूति आगत्रित करने का अधिकार होगा। न्यास की सम्पत्ति सह सम्पत्ति चाहे वह निजी हो, क्रय की गई हो और/या पट्टे पर अर्जित की गई हो, न्यासीगण/न्यासी अथवा न्यास के नाम होगी।
- 34- न्यासीगण आपसी संरक्षण से प्रबन्ध समिति के अधिकार में निम्नलिखित जो मूलतः न्यासीगण के पास होंगे भी जोड़ सकेंगे।
 - 1- दान अथवा अंशदान स्वीकार करना, अंशदान, उपहार और कोई अन्य समसम्पत्ति और अनुदान, योग सम्पत्ति या तो जायदाद या वस्तु में हो या कोई भी अधिकार चल या अचल सम्पत्ति या अन्य जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या दिया गया हो या लिया गया हो स्वीकार किया जायेगा ऐसा कोई अंशदान, उपहार, सह सम्पत्ति, अनुदान, सम्पत्ति, जायदाद या वस्तु सम्बन्धित प्रबन्ध समिति के सदस्य द्वारा न्यास के प्रधान न्यासी के पास दस दिनों के अन्दर किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तरित करना होगा। यह अवधि विशेष परिस्थिति में प्रधान न्यासी द्वारा उसकी स्पष्ट स्वीकृति से बढ़ाई जा सकेगी।

K. N. Tilwani



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504318

- 2- न्यास की उन्नति के लिए श्रय करना, कब्जा करना और फर्म व कम्पनियों के उपहार या अंशदान ऋणपत्र अंश स्वीकार करना, जन न्यास के लिए सरकार से प्रतिभूति व अन्य सम्पत्ति नियमानुसार प्राप्त करना, न्यास के लिए आय उपलब्ध करने हेतु समय-समय पर आवेदन करना।
- 3- न्यासीगण से सोध विचार के आधार पर जैसा उचित समझे उन्हें विक्रय करने, परिवर्तित करने, विनिमय, हस्तान्तरण, पट्टा अथवा किराये पर देना अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति को चाहे वो अचल हो या चल सम्पत्ति हो के सम्बन्ध में निवेश करने अथवा पुर्ननिवेश करने का अधिकार होगा। इसके लिए प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 4- प्रबन्ध समिति सभी लगाये गये कर्तों का भुगतान करना, बाहर स्थित सम्पत्ति/सम्पत्तियों हेतु भेजने वाले भुगतान या न्यास खाते के विस्तार के लिए और समय-समय पर आवश्यक मरम्मत नवीनीकरण के लिए आज्ञानुसार कार्य करेगी और उसकी सुरक्षा के लिए उपर्युक्त कार्य करेगी। विपरीत इसके क्षतिग्रस्त या नुकसान होने पर न्यासीगण जैसा मुनासिब समझेंगे वैसा करेंगे।
- 5- न्यास के कार्य हेतु उसके अन्तर्गत उन्नति के लिए यदि ऋण की आवश्यकता हो तो न्यासीगण प्रतिभूति सहित या बिना प्रतिभूति के अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए जैसा उचित समझेंगे ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- 6- मुकदमा उत्पन्न होने की स्थिति में उसके क्रियान्वित करने एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत अपील करने, आवेदन निर्मित करने, याचिका दाखिल करने एवं शपथ पत्र देने जैसा भी आवश्यक एवं हितकर हो करेगे। सुलह करने मिलाने या छोड़ देने, पंचाट दाखिल करने अथवा किसी विवाद को सुलझाने, उस दिशा में कार्य करने, क्लेम करने और वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत या जो विवाद न्यास से सम्बन्धित हो या न्यास खाते

K. N. Tiwari



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504319

अथवा उसके अन्तर्गत हो या उससे सम्बन्धित व्यय से सम्बन्धित हो न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का विचार/आदेश अंतिम होगा। मुकदमे की पैरवी करने के लिए प्रधान न्यासी/अध्यक्ष किसी को नियुक्त कर सकते हैं।

- 7- न्यास खाते के सम्पूर्ण अथवा अंश कार्पत और या न्यास के उद्देश्य के विकास के लिए आय की व्यवस्था करना।
- 8- यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर अल्प काल के लिए न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु उपसमिति का गठन करेंगे जिसमें एक अथवा अधिक न्यासीगण अधिकार सहित संचालित करेंगे और इनके सहयोग हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को संगठित करेंगे।
- 9- उपरोक्त न्यास के समान उद्देश्य वाले अन्य संस्था, संगठन या समितियों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे।
- 10- अधिवक्ता, महाअधिवक्ता व प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और इनको जिम्मेदारी एवं अधिकार प्रदान करने के सारे अधिकार न्यास के प्रधान न्यासी को होगा जो विधि प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं संचालन एवं न्यास की उन्नति से सम्बन्धित कार्य करेंगे।
- 11- न्यास के कार्य के लिए वेतन एवं अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति न्यासीगण अपने स्व-विवेक विचार के आधार पर प्रत्येक समिति की आवश्यकता को देखते हुए करेंगे और सचिव और मैनेजर को न्यास की ओर से सामान्य एवं विशिष्ट कार्य हेतु अधिकार प्रदान किये जायेंगे जो न्यास के प्रशासन एवं सामान्य कार्य करेंगे।
- 12- न्यास के व्यापार के सम्बन्ध में की गई कोई नियुक्ति/नियुक्तियाँ जो कर्मचारियों, विधिक अधिवक्ता या प्रतिनिधि की की गई हो, उसे वापस लेने, रद्द करने का अधिकार प्रधान न्यासी को होगा।

K. N. T. Sani

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504321

- 13- सामान्य रूप से सभी कार्य, विलेख पत्र जैसी भी जरूरत प्रबंध समिति की नियंत्रण प्रशासन एवं न्यास की सुरक्षा हेतु आवश्यक हो और सभी प्रासंगिक मामले जो सम्बन्धित हो न्यास और या न्यास के खाते के माध्यम से होते रहेंगे तथा इस सम्बन्ध में सारे अधिकार न्यासीगण एवं अंतिम रूप से प्रधान न्यासी में समाहित होंगे।
- 14- भविष्य में जब भी न्यासी पद रिक्त होगा जो न्यासी जीवित रहेंगे उनके द्वारा अन्य न्यासी का मनोनयन किया जायेगा जिसमें प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। वर्तमान प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। वर्तमान प्रधान न्यासी/अध्यक्ष को अपनी इच्छानुसार भावी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार सर्वथा सुरक्षित रहेगा।
- 15- न्यास की उन्नति एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासीगण समय-समय पर कार्यक्रम नियम एवं नियमावली बनायेंगे तथा न्यासीगणी अपने स्व-विवेक से दस्तावेज निर्माण करके कार्य का प्रारूप तैयार करेंगे जिसमें किसी प्रकार का मतभेद एवं अविधेकपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं होगा।
- 16- कुष्मानन्द तिवारी प्रधान न्यासी होंगे और प्रबंध समिति के कार्यालय का कार्य जीवनपर्यन्त करेंगे। ये अपने जीवनकाल तक अध्यक्ष रहेंगे अपने जीवनाकाल में ही भावी प्रधान न्यासी/अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, किसी भी मामले अंतिम निर्णय पूर्ण रूप से लेने के लिए अधिकारी होंगे। ये प्रबंध समिति को भंग करके सभी अधिकार, दायित्व अपने हक में कर सकते हैं।
- 17- प्रधान न्यासी/प्रथम न्यासी/अध्यक्ष के आदेश पर सचिव, प्रबंध समिति की बैठक स्व-विवेक से किसी भी समय पूर्व सूचना देकर बुलायेंगे। बैठक हेतु निर्धारित कार्यक्रम के

K. N. Tiwari

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504320

अलावा अन्य किसी बात की चर्चा बैठक में नहीं होगा, जब तक कि प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा अन्य कोई स्वीकृति या निर्देश न दिया गया हो।

- 18- प्रधान न्यासी/अध्यक्ष ही किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य न्यासी किसी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।
- 19- दो न्यासी की उपस्थिति किसी बैठक में कोरम को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। सभी प्रश्नगत मामले एवं उत्पन्न समस्याएं न्यासीगण की सहमति से हल किये जायेंगे, परन्तु प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 20- न्यासीगण की बैठक की संक्षिप्त प्रक्रिया पुस्तिका में अंकित की जायेगी जो अध्यक्ष के हस्ताक्षर से उसी हेतु रखी जायेगी और उस बैठक में निर्णय प्राविधान कार्य आदि का (यदि कोई हो) उल्लेख होता रहेगा।

K. N. Tiwari

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 504311

दिनांक: 03-03-2016

मसविदाकर्ता: मु. एनाम ड.०

Drafted By: Hemant Kumar H. Kumari
Heritage Computer Education Centre
Devi Dayal Marg, Zamania Kasba
Distt- Ghazipur (U.P)

K. N. Tiwari

प्रधान न्यासी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर



गवाह 1 Ved Prakash

S/o. Gauri Shankar Tripathi
Vill- Baghari, Post- Zamania
Dist- Ghazipur (U.P)

गवाह 2 Yogendra Nath Tiwari

S/o Late. Radhe Shyam Tiwari
Vill- Baghari Post- Zamania
Dist- Ghazipur U.P.